HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7816/2026
URN: CRLMB / 14236U / 2026

Arvind S/o Shri Mohanlal, Aged About 21 Years, R/o Village Dawal, Police Station Chitalwana, District Jalore, At Present Tenant At House No. 10/403, First Floor, Sector No. 10, Mansarovar, Police Station Mansarovar, Jaipur. (At Present Accused Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 7817/2026
URN: CRLMB / 14245U / 2026

Dileep S/o Shri Virmaram, Aged About 24 Years, R/o Village Dawal, Police Station Chitalwana, District Jalore, At Present Tenant At House No. 10/403, First Floor, Sector No. 10, Mansarovar, Police Station Mansarovar, Jaipur. (At Present Accused Confined In Central Jail Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Nirmal Kumar Sharma
For Respondent(s)	:	Mr. Rajesh Chaudhary, GA cum AAG Mr. Jaiprakash Tiwari, PP Mr. Gaurav Gupta, AGA

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

03/07/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा

483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– मानसरोवर, जिला– जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 282/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 8/18 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से 896 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद होना दर्शित किया गया है, जो कि मादक पदार्थ की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में नहीं आती है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण दिनांक 06.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहे हैं एवं प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुणों पर कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं विद्वान् अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. अरविन्द पुत्र मोहनलाल, 2. दिलीप पुत्र विरमाराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 49-50